संख्या-08/2018/क0नि0-4-120/11-2018-400(26)/2006

प्रेषक,

मो0 मारूफ,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर,

उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः फरवरी, 2018**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत मानक मद सं0-14 मोटर/वाहन क्रय की मद में जी0एस0टी0 सेस अन्तरमूल्य की धनराशि रु0-10,32,872.00 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-4-वाहन क्रय पटल/2017-18/6066/वाणिज्य कर, दिनांक 24.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग में 34 वाहनों के प्रतिस्थापनस्वरूप 34 टाटा सूमो गोल्ड ई0एक्स0 बी0एस04 मॉडल के वाहन क्रय किए जाने हेतु 34 वाहनों के बढ़े हुए अंतरमूल्य की धनराशि रु0-10,32,872.00 (रुपया दस लाख बत्तीस हजार आठ सौ बहत्तर मात्र) व्यय किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं:-

(i) उपर्युक्त धनराशि का उपभोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा जिस कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-08/2018/क0नि0-4-120(1)/11-2018, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय**,** इलाहबाद।

2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।

3. मुख्य कोषाधिकारी**,** जवाहर भवन**,** लखनऊ।

4- एडिशनल कमिश्नर (लेखा)**,** वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।